

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी
श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 665/2016

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

तहसीलदार, पचपदरा

1. हाजी वल्द मुरीदखॉ, शेरूखॉ वल्द मुरीदखॉ,
इस्माईलखॉ वल्द रिमजूखॉ, हबीबखॉ वल्द रिमझूखॉ,
बचूखॉ वल्द रिमजूखॉ, शरीफो पत्नि आकूखॉ कौम
मुसलमान सा. गंगापुरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम
59,60,66,,86
भू-अभिलेख नियम 1970.




आदेश

दिनांक 11.02.17

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम गंगापुरा में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया लेकिन अनुपस्थित रहे व कोई जबाब पेश नहीं किया।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ग्रेवल सडक/डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत में होने की ताईद की है व कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /बारहमासी मार्ग गंगापुरा के खसरा नंबर 2407/2296, 2408/2297, 2409/2298, 2410/2299, 2414/2261, 2415/2300, 2418/2257, 2421/2264, 2264 में चल रहा है।

अतः मौजा गंगापुरा के खसरा नंबर 2407/2296, 2408/2297, 2409/2298, 2410/2299, 2414/2261, 2415/2300, 2418/2257, 2419/2302, 2421/2264, 2264 रकबा 1.04, 1.12, 0.16, 1.00, 1.10, 0.08, 0.16, 1.16, 0.10, 0.14 बीगा में संलग्न


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

परिशिष्ट 'अ' में चल रहे सरतों/ राजक का सरता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'ब' में वर्णित विवरण अनुसार सरता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारों को नोटिस जारी कर तलाब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उज एतराज पेश नहीं किया।


भूमी धारक तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है।

उपरिथत सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा गौके पर चल रहे सरतों जिराका अंकन/तरगीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरगीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किरम गै.मु.सरता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पंचपदरा स्वीकार कर मौजा गंगपुरा में अवस्थित खसरा नंबर 2407/2296, 2408/2297, 2409/2298, 2410/2299, 2414/2261, 2415/2300, 2418/2257, 2419/2302, 2421/2264, 2264 रकबा 1.04, 1.12, 0.16, 1.00, 1.10, 0.08, 0.16, 1.16, 0.10, 0.14 बीगा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अनुसार तरगीम का आदेश दिया जाता है, उक्त सरतों का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। परिशिष्ट 'ब' नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय में दिनांक 11.2.2017 को सुनाया गया।



(प्रभातीलाल जाट)
भा.भा.प.के.ख.ले.आ.कार्यकारी,
(एस.डी.ओ.) गंगपुरा

